राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1699/2010/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रति करापवंचन, भरतपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रहलाद प्रसाद एण्ड सन्स,
उच्चैन, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जतिन हरजाई,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 14/03/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 196/उपा–अपील्स/2007–08 के आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा उक्त अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, भरतपुर (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 07.09.2007 में आरोपित शास्ति रू. 30,315/– को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आरजे 05 जीए 1606 (पिकअप वाहन) को दिनांक 06.09.2007 को भरतपुर से महुआ जाते हुए सेवर थाना के पास में चैक किया गया। वक्त जांच परिवहनित माल 'बीड़ी' के सम्बन्ध में वाहन चालक के पास कोई भी दस्तावेज नहीं पाये गये, अतः माल एवं वाहन को धारा 76(5) के तहत अभिग्रहीत किया गया। दिनांक 07.09.2007 को प्रत्यथी ने पक्षकार बनने हेतु एक आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किया, जिसके पश्चात् उक्त व्यवहारी को धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण बाबत् नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी के प्रत्युत्तर को अस्वीकार करते

निरन्तर.....2

हुए सक्षम अधिकारी ने परिवहनित माल को करवंचना की नीयत से बिना दस्तावेज़ों के ले जाने तथा शास्ति से बचने के लिये पीछे की तारीख का इनवॉईस जारी कर पेश करने पर इसे After thought मानते हुए माल कीमतन् रू. 1,01,050/– पर शास्ति @ 30% Rs. 30,315/- आरोपित की। इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा इसकी अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे दिनांक 21.01.2010 को निर्णीत करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि मार्गस्थ वाहन को दिनांक 06.09.2007 को रात्रि 10.40 pm पर भरतपुर–सेवर मार्ग पर सक्षम अधिकारी द्वारा चैक किये जाने पर वाहन चालक के पास में वाहन में परिवहनित माल 'हेमाशंकर ब्राण्ड बीड़ी' के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं पाये गये। वाहन चालक द्वारा अपने बयानों में ऐसी कोई बात नहीं बताई कि वह परिवहनित माल के दस्तावेज कहीं भूल कर आ गया या छोड़कर आ गया, अतः प्रत्यर्थी का यह कथन मान्य नहीं हो सकता कि वाहन चालक रास्ते में शराब पीने रूक गया था तथा माल के दस्तावेज वहीं पर भूल गया। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनी नियमित लेखा पुस्तकें जांच हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं थी अतः जो बिल बाद में पेश किया गया था उसका सत्यापन भी नहीं किया जा सका जिसे सक्षम अधिकारी ने उसे after thought मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलीय प्राधिकारी ने तथ्यों की अनदेखी कर विधिक भूल की है, अतः अपीलीय आदेश निरस्त करने व सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति बहाल करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि यद्यपि यह सही है कि जांच के समय माल के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे परन्तु अगले दिन प्रातः ही दस्तावेज पेश कर दिये गये थे। उनका यह भी कथन है कि परिवहनित माल उच्चैन से भरतपुर भेजा गया था, परन्तु भरतपुर के क्रेता व्यवसायी द्वारा इसकी डिलीवरी लेने से मना करने पर उक्त वाहन माल लेकर वापस आ रहा था। उनका यह भी कथन है कि जांच के समय सक्षम अधिकारी द्वारा खाली कागजों पर ड्राईवर के हस्ताक्षर करवा लिये गये तथा वाहन चालक ने ऐसे कोई बयान नहीं दिये थे कि उसके पास माल के कोई दस्तावेज नहीं हैं तथा कि भविष्य में भी पेश करने में असमर्थ है। सुनवाई के समय प्रत्यर्थी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया था जिसमें दिये गये तथ्यों का भी प्रतिसत्यापन नहीं करवाया गया

निरन्तर.....3

जबकि ऐसा करवाया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है। उन्होंने यह भी ज़ाहिर किया कि समक्ष अधिकारी द्वारा नोटिस दिनांक 07.09.2007 में माल की मात्रा 20 बोरी बीड़ी अंकित की है जबकि शास्ति आदेश में 21½ बोरी अंकित की है, अतः यह भी विसंगति है। इसके अतिरिक्त उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी. मैटल्स के प्रकरण में दिये गये निर्णय 124 STC 611 के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त किये जाने को पूर्णतः उचित बताया तथा राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य अविवादित है कि जांच के समय वाहन में परिवहनित माल 'बीड़ी' के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज वाहन चालक सह माल प्रभारी द्वारा पेश नहीं किये गये थे। अपने बयानों में वाहन चालक ने यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके पास परिवहनित माल के कोई दस्तावेज नहीं है तथा न ही वह भविष्य में पेश कर सकने की स्थिति में है। द्वितीयतः, वाहन चालक ने ऐसा भी कोई कथन अपने बयानों में नहीं किया कि वह यह माल भरतपुर लेकर गया था तथा कि वहां के तथाकथित क्रेता व्यवहारी द्वारा माल लेने से मना कर दिया गया। तृतीयतः, सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर, शपथ पत्र आदि का समग्र परिप्रेक्ष्य में अवलोकन व अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा शास्ति से बचने मात्र के लिये पश्चविचारित (after through) तरीके से एक कहानी बनाई है जिसमें वाहन चालक द्वारा रास्ते में कहीं रूक जाना तथा शराब पीकर दस्तावेज भूल जाना, तथाकथित रूप से भरतपुर के व्यवसायी द्वारा माल की डिलीवरी नहीं लिया जाना आदि कारण जो कि सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत किये गये थे, पूर्ण रूप से मनगढ़ंत (wholly fabricated, unsubstantiated and concocted story) पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी. मैटल्स (124 STC 611) का जो उद्धरण दिया गया है जिसका ससम्मान अध्ययन करने पर उक्त निर्णय इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में लागू नहीं होता है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी कारणवश दस्तावेज वाहन के साथ में नहीं पाये जाते हैं तो प्राकृतिक न्याय के हित में व्यवहारी को उचित अवसर दिया जाना चाहिये, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसे किसी भी दस्तावेज के होने या पीछे छूट जाने का कोई अभिकथन माल प्रभारी के बयानों से प्रकट नहीं होता है, अतः उक्त निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में लागू किया जाना सम्भव नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर

से एक आक्षेप यह भी किया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में माल की मात्रा 20 बोरी बीड़ी ही लिखा गया है जबकि शास्ति आदेश में या 21½ बोरी अंकित है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि माल का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् जो नोटिस दिनांक 07.09.2007 को जारी किया गया है उसमें माल की मात्रा 21½ बोरी ही अंकित है तथा उसमें भौतिक सत्यापन के पश्चात् उक्त मात्रा पाये जाने का स्पष्ट अंकन है, अतः इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी का कथन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र प्रत्यर्थी द्वारा धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, तथा उसके द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रत्युत्तर after thought पाया जाता है एवं साथ ही करवंचना की स्पष्ट मंशा (mens rea) भी परिलक्षित होती है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जो शास्ति आरोपित की गई है वह पूर्णतः विधि सम्मत है जिसे अपास्त करते हुए अपील स्वीकार करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की गई है, अतः अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

7. फलतः अपीलीय आदेश अपास्त करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को रेस्टोर किया जाता है व अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया ।

14.03.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य